5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. क्र.   /16 पी.बी.आर. निगरानी   R 4222-PBR-16

1. गोपाल पुत्र नारायण प्रसाद, जाति ब्राह्मण, निवासी हरिपुर तहसील गुना ---निगरानीकर्ता

बनाम

1 म.प्र. शासन
2 आलोक पुत्र नंदकिशोर उपाध्याय निवासी गुना तहसील व जिला गुना

---प्रतिप्रार्थी

15-12-16

775
15.12.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व सहिंता, 1959 विरुद्ध आदेष दिनांक 28/09/16 पारित द्वारा कलेक्टरजिला गुना प्रकरण क्रमांक–39/2012–13 स्वमेव निगरानी

श्रीमान महोदय,

प्रार्थीगण की और निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य --

1. यह कि, कृषि भूमि सर्वे कमाकं 467/9 रकबा 0.836 हे. प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व व अधिपत्य की कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि प्रार्थी को प्रकरण क. 182/8283 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 18/06/84 के द्वारा प्राप्त हुई है प्रार्थी आदेश दिनांक से ही उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार कृषि कार्य कर रहा है तथा शासन को विधिवत लगान अदा चला आ रहा है वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है।

2. यह कि, अतीक अहमद पुत्र दोस्त अहमद निवासी तलैया मोहल्ला गुना प्रार्थी से अकारण रंजिस रखता है इसलिये उसने एक आवेदन पत्र कलेक्टर जिला गुना के समक्ष जनसुनवाई में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी की भूमि के संबंध में शिकायत की गई प्रार्थी द्वारा बिना कलेक्टर की स्वीकृति के उपरोक्त भूमि प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 को विक्रय कर दी गई है अतीक अहमद के आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर सम्पूर्ण जांच कराये जाने के पश्चात विधिवत प्रतिवेदन प्रेषित करने का निर्देश दिया गया ।

4469 14-12-16 शपथ आयुक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–4222–पीबीआर/2016 जिला–गुना

गोपाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व आलोक उपाध्याय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.एस सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 39/2012–13/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28–09–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	